A-2

80

हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि0–।।।)

संख्याः पीईआर (एपी)–सी–ए (3)–3/2010. तारीख शिमला–2, 15 नवम्बर, 2010.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में चपड़ासी, वर्ग–IV (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–क के अनुसार सामान्य सीधी भर्ती नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चपरासी वर्ग–IV (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य सीधी भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये नियम हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होंगे।

(3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों के लिए लागू होंगे।

निरसन और व्यावृतियां 2. (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)सी–बी (19)–2/98 दिनांक 4 जनवरी, 1999 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश चतुर्थ श्रेणी लिपिकीय सेवाएं (चपड़ासी) सीधी भर्ती नियम, 1999 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय– समय पर जारी चपरासी के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में उपबंधित सीधी भर्ती की पद्वति प्रवृत नहीं रहेगी :

परन्तु यह और कि ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (।) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

6031
6-12-10

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः पीईआर (एपी)–सी–ए (3)–3/2010. तारीख शिमला–2, 15 नवम्बर, 2010

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त संचिव/उप सचिव/अवर सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
2. सभी मण्डलायुक्त हिमाचल प्रदेश।
3. सभी विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
4. सभी उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

-2-

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में चपड़ासी, वर्ग–IV (अराजपत्रित) के पद के लिए सामान्य सीधी भर्ती नियम।

1	पद का नाम	चपड़ासी
2	पदों की संख्या	जितनी सम्बद्ध विभागों में सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर की गई है और की जाएं।
3	वर्गीकरण	वर्ग –IV (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)
4	वेतनमान	(I) नियमित पदधारियों के लिए पे बैन्ड: ₹ 4900–10680 जमा ग्रेड पे ₹ 1300/– (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां: ₹ 6200/–स्तम्भ संख्या: 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।
5	चयन पद अथवा अचयन पद :	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिये आयु	18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गये व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेश) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/ स्वायत निकायो में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे /किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/ स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गये हैं / किये गये थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें कि पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिये, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	क) अनिवार्य अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/ संस्थान से दसवीं की परीक्षा पास हो या इसके समतुल्य हो।

		ख) वांछनीय अर्हता (ए) : हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8	क्या सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित करणों से आदेश दे।
10	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता :	सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा सैकन्डमैंट आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जायेगा :	हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से स्थानान्तरण द्वारा/सैकन्डमैंट आधार पर।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना :	लागू नहीं।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन :	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :– **इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जायेंगी:–**

1) <u>संकल्पना</u>

(क) इस पॉलिसी के अधीन _____ (विभाग का नाम) में चपड़ासी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिऐ लगाया जाऐगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि को बढ़ाने/नवीकरण करने हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा ओर आचरण संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का विस्तारीकरण/नवीकरण किया जा सकेगा।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में न आना:**

सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदों के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाऐगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां

संविदा के आधार पर नियुक्त चपड़ासी को ₹ 6200 /– की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षो), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 190/– की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/ अनुशासन प्राधिकारी

सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकियां

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम इत्यादि सबद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) द्वारा अवधारित किया जाएगा।

-4-

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति

जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध – "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 6200/– की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गये वर्ष/ वर्षो के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 190/–(पद के पै बैन्ड के न्यनूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यिुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड.) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण का पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगें। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे।

16 आरक्षण : सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17 विभागीय परीक्षा : लागू नहीं।

18 शिथिल करने की शक्ति : जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।